प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा झंवर**

दाण्डिक अपील क्रमांक 977/1997

अपीलार्थी : मदन गोपाल, पिता
देव चरण सतनामी, उम्र 21 वर्ष, निवासी
ग्राम मोहतरा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर
(म.प्र.)
(वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)
द्धारा पुलिस थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री अरविद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(14.08.2012)

1. यह अपील चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 396/91 एवं 291/92 में दिनांक 30 अप्रैल, 1997 को पारित संयुक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :–

मृतक कृष्ण कुमार अपीलार्थी का मित्र था। दोनों एक ही गाँव के निवासी थे। कृष्ण कुमार का अपीलार्थी की भांजी कु. शशिकला के साथ प्रेम संबंध था। शनि कुमार (अ.सा.-9) ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। शनि कुमार (अ.सा.-9) ने उक्त बात अपीलार्थी को बताया। अभियोजन का मामला यह है कि उपर्युक्त कारणवश दिनांक 28.06.1991 की रात्रि में अपीलार्थी एवं अन्य 7 सह-अभियुक्तगण (सभी को दोषमुक्त किया गया) मृतक को समीप स्थित स्टोन माइंस में ले गए और उसे अनेक गंभीर चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या कारित की। इस घटना को रामलाल (अ.सा.-2) ने देखा था। रामलाल (अ.सा.-2) ने इस तथ्य का खुलासा किसी से नहीं किया। दिनांक 29.06.1991 की प्रातः ग्रामवासियों ने स्टोन माइंस के पास खेत में मृतक का शव देखा। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर प्र.पी./14) कौशल प्रसाद (अ.सा.-11) द्वारा दर्ज कराई गई। अभियोजन का मुख्य आधार रामलाल (अ.सा.-2) का चक्षुदर्शी साक्ष्य तथा कौशल प्रसाद (अ.सा.-11) एवं संजय कुमार (अ.सा.-12) का 'अंतिम बार साथ देखे जाने' संबंधी साक्ष्य था। चूँकि रामलाल (अ.सा.-2) ने लगभग 9 माह से अधिक समय तक घटना का खुलासा किसी से नहीं किया, अतः माननीय सत्र न्यायाधीश ने उसके कथन पर विश्वास नहीं किया। इस संबंध में निर्णय के कंडिका 25 में अभिलिखित निष्कर्ष दर्ज किया गया है। माननीय सत्र न्यायाधीश ने इस परिस्थिति का अवलंब लिया कि दिनांक 28.06.1991 की संध्या को मृतक को अपीलार्थी के साथ देखा गया था तथा यह भी कि अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या कारित करने का 'हेतुक' था। अतः अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा शेष 7 सह-अभियुक्तगण (अ-2 से अ-8) को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी रामलाल (अ.सा.-2) पर सत्र न्यायालय ने विश्वास नहीं किया है; अतः घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति होरीलाल (अ.सा.-6) एवं संजय कुमार (अ.सा.-12) के साक्ष्य से सिद्ध नहीं होती। कौशल प्रसाद (अ.सा.-11) के संबंध में उन्होंने कहा कि उसने कथित रूप से दिनांक 28.06.1991 की संध्या को मृतक को अपीलार्थी के साथ देखा था और शव दिनांक 29.06.1991 की प्रातः मिला; अतः दोनों के बीच पर्याप्त समय का अंतराल है और ऐसी स्थिति में यह परिस्थिति अपीलार्थी के विरुद्ध दोषारोपणकारी नहीं मानी जा सकती। 'हेतुक' के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य साक्षी शनि कुमार (अ.सा.-9) पक्षद्रोही हो गया है और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है; अतः हेतुक भी सिद्ध नहीं हुआ।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया।

(6) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में प्रत्येक परिस्थिति का पूर्णतः स्थापित होना आवश्यक है। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा उनका कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण संभव नहीं होना चाहिए। साथ ही, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई संदेह शेष न रहे।

7) **एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2011 एससी 2283** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने के समय और मृतक के शव पाए जाने के समय के बीच का अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो जाए। (देखें: मोहम्मद आज़ाद उर्फ समीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,

(2008) 15 एससीसी 449 तथा राज्य के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम महेंद्र सिंह दहिया, (2011) 3 एससीसी 109)।

(8) वर्तमान प्रकरण में होरीलाल (अ.सा.-6) ने यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसने घटना से एक दिन पूर्व मृतक को अपीलार्थी के साथ देखा था, परंतु प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे उक्त तिथि की संध्या को यह जानकारी मिली थी कि मृतक अपीलार्थी के साथ था, और उसने स्वयं मृतक को अपीलार्थी के साथ नहीं देखा था।

(9) संजय कुमार (अ.सा.-12) ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने संध्या के समय उसके भाई (मृतक) को बुलाकर अपने साथ ले गया था। यद्यपि उसने न्यायालय में इस प्रकार का कथन किया, किंतु यह तथ्य उसके केस डायरी कथन (प्र.डी./2-क) में उल्लेखित नहीं है। प्रतिपरीक्षण के दौरान जब उसे उसके केस डायरी कथन (प्र.डी./2-क) से उक्त विलोपन के संबंध में सामना कराया गया, तो वह इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका और उसने यह कथन दिया कि वह यह कारण नहीं बता सकता कि उक्त तथ्य उसके डायरी कथन में क्यों अंकित नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) कौशल प्रसाद (अ.सा.-11) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 28.06.1991 को वह लगभग दोपहर 12.00 बजे अपने खेत से लौटकर आया और भोजन करने के पश्चात पुनः अपने खेत चला गया। सायंकाल जब वह ग्राम तालाब में स्नान करने के बाद अपने घर लौटा, तब अपीलार्थी उसके घर आया और मृतक को अपने साथ ले गया। उसके पश्चात मृतक वापस नहीं लौटा और अगले दिन प्रातः उसका शव पाया गया। कौशल प्रसाद (अ.सा.-11) ने ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./14) दर्ज कराई है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 29.06.1991 को लगभग दोपहर 12.30 बजे दर्ज की गई। उसने मृतक के शव को देखने का निश्चित समय उल्लेखित नहीं किया है। तथापि, उसके साक्ष्य के अनुसार, उसने दिनांक 29.06.1991 को दोपहर 12.30 बजे से पूर्व मृतक का शव देख लिया होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक को अपीलार्थी के साथ जीवित देखे जाने और उसके शव के पाए जाने के बीच अत्यधिक समयांतराल था। उक्त दो महत्वपूर्ण समय बिंदुओं के बीच लंबे अंतराल के कारण, केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं था,

क्योंकि इतने अधिक समयांतराल में किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने की संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता। हमारा मत है कि प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की एकमात्र परिस्थिति पर्याप्त नहीं थी।

(11) जहाँ तक अपराध के 'हेतुक' का प्रश्न है, अभियोजन का मामला यह है कि मृतक के अपीलार्थी की भांजी के साथ प्रेम संबंध एवं अवैध संबंध होने के कारण अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कारित की। मृतक एवं अपीलार्थी की भांजी के बीच कथित अवैध संबंधों के संबंध में अभियोजन ने शनि कुमार (अ.सा.-9) को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। अभियोजन का कथन था कि शनि कुमार (अ.सा.-9) ने मृतक को अपीलार्थी की भांजी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, जिसकी जानकारी उसने अपीलार्थी को दी और तत्पश्चात अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कारित की। किंतु शनि कुमार (अ.सा.-9) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उसने स्पष्ट शब्दों में कथन दिया कि उसे घटना के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसने न तो अपीलार्थी की भांजी को और न ही मृतक को किसी आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। उसे लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। यहाँ तक कि लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षण में भी उसके साक्ष्य से ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया, जिसके आधार पर अभियोजन द्वारा सुझाया गया 'हेतुक' सिद्ध माना जा सके। अतः यह परिस्थिति भी अपीलार्थी के विरुद्ध स्थापित नहीं हो सकी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत परिस्थितियाँ पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थीं। वे निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की नहीं थीं तथा उनका अन्य प्रकार से स्पष्टीकरण संभव था। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं थी। हमारे मत में, माननीय सत्र न्यायाधीश ने उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर त्रुटि की है।

(13) फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित

आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूति उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Angel Kujur, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur